दिनांक 27.10. 2016 को विकास आयुक्त, बिहार, की अध्यक्षता में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की प्रथम बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– संलग्न सूची के अनुसार।

1– विकास आयुक्त, बिहार, की अध्यक्षता में गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की प्रथम बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 पर प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके माध्यम से अधिनियम में वर्णित प्रावधानों एवं प्रकियाओं के संबंध में सभी सदस्यों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। साथ–ही इस अधिनियम के तहत् उद्योग संघों के दो प्रतिनिधि यथा– अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ एवं अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज को नामित किए जाने संबंधी जानकारी से पर्षद् को अवगत कराया गया।

2– राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् से अनुमोदन हेतु नए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए Common Application Form-I (For new units) तथा Common Application Form-IA (For existing unit) आवेदन प्रारूप अनुमोदित किया गया तथा इसे Online करने के कम में आंशिक संशोधन हेतु प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया गया।

3– राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् से अनुमोदन हेतु विभिन्न निवेश सीमा के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित शुल्क को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के अनुमोदन हेतु विभिन्न निवेश सीमा के तहत् निम्न प्रकार शुल्क निर्धारित किए गए :–

(क)	50.00 (पचास) लाख रु0 तक	रु0 1000.00 (एक हजार)
(ख)	50.00 (पचास) लाख रु0 से ऊपर 20.00 (बीस) करोड़ रु तक	रु0 3000.00 (तीन हजार)
(ग)	20.00 (बीस) करोड़ रु0 से ऊपर	रु0 5000.00 (पाँच हजार)

4– अन्यान्य– पूर्व में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की सहमति हेतु प्राप्त प्रस्तावों, जो लंबित हैं, के संबंध में निर्णय लिया गया कि Common Application Form में नए सिरे से आवेदन प्राप्त किया जाए। इसके लिए पूर्व में जमा शुल्क ही मान्य होगा तथा पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0 / –
निदेशक, तकनीकी विकास,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ह0 / –
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ह0 / –
विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–
4तक/एस.आई.पी.बी./बैठक/672/2016

प्रतिलिपि–बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–
4तक/एस.आई.पी.बी./बैठक/672/2016

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अध्यक्ष,बिहार उद्योग संघ, पटना/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2206 /पटना, दिनांक– 24.11.16

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के सचिव/ उद्योग मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.11.2016

निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

24/11/16

3